



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

PO-252

Km. 30

Dept. 02

CPB-220

सं. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

No. 108]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

स्टाम्प

पुरा किया

प्रभारी

पा० वि० एकक

का.आ. 130(अ).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 198(अ) दिनांक 16 मार्च, 1976 एवं का.आ. सं. 199(अ) दिनांक 16 मार्च, 1976 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण के पहले की गई अथवा न की गई चीजों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि दिनांक 1 मार्च, 2004 से अधिनियम की अनुसूची - 1 में अनुच्छेद 13, 14, 27, 37, 47, 49, 52 एवं 62 (क) में कॉलम (1) के अन्तर्गत उल्लिखित लिखतों पर प्रभार्य समुचित स्टाम्प शुल्क नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट होगा, नामतः-

तालिका

लिखत का वर्णन (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 में यथा-विनिर्दिष्ट) (1)	समुचित स्टाम्प शुल्क (2)
13. धारा 2 (2) द्वारा यथा- परिभाषित विनिमय पत्र जो एक बॉण्ड, बैंक नोट अथवा करेंसी नोट नहीं हो - (ख) जहां मांग पर से भिन्न रूप में देय हो - (i) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से तीन महीने से अनधिक समय तक देय हो - यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ; यदि यह 500 रुपये से अधिक हो परन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो ; और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपये अथवा 1000 रुपये से अधिक के इसके किसी भाग के लिए;	तीस पैसे साठ पैसे साठ पैसे

(ii) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से तीन महीने से अधिक परन्तु छः महीने से अनधिक समय तक देय हो -

यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ;

यदि यह 500 रुपये से अधिक हो परन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो ;

और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपये अथवा 1000 रुपये से अधिक के इसके किसी भाग के लिए ;

(iii) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से छः महीने से अधिक परन्तु नौ महीने से अनधिक समय तक देय हो -

यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ;

यदि यह 500 रुपए से अधिक है परन्तु 1000 रुपए से अनधिक है ;

और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए ;

(iv) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से 9 माह से अधिक समय से देय परन्तु एक वर्ष से कम समय तक देय हो -

यदि बिल अथवा नोट की धनराशि 500 रुपये से अनधिक है ;

यदि यह 500 रुपये से अधिक है परन्तु 1000 रुपये से अनधिक है ;

और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए

(ग) जहां तारीख अथवा स्थान के बाद एक वर्ष से अधिक की अवधि तक संदेय यदि बिल अथवा नोट की धनराशि 500 रुपये से अनधिक है ;

यदि यह 500 रुपए से अधिक है परन्तु 1000 रुपए से अनधिक है ;

और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए ।

साठ पैसे

एक रुपया बीस पैसे

एक रुपया बीस पैसे

नब्बे पैसे

एक रुपये अस्सी पैसे

एक रुपये अस्सी पैसे

एक रुपये पच्चीस पैसे

दो रुपये पचास पैसे

दो रुपये पचास पैसे

दो रुपये पचास पैसे

पांच रुपये

पांच रुपये

एक रुपया

ध्यान दें - यदि लदान पत्र का आहरण भागों में किया जाता है तो उचित शुल्क का वहन प्रत्येक भाग पर होना चाहिए ।

14. लदान पत्र (लदान पत्र के माध्यम सहित)

छूट

(क) लदान पत्र यदि उसमें वर्णित सामान को भारतीय पत्तन अधिनियम, 1889 (1889 का 10) के अन्तर्गत यथा-निर्धारित की पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर प्राप्त किए जाते हैं और उसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनकी सुपुर्दगी की जानी होती है ;

(ख) लदान पत्र जब भारत से बाहर निष्पन्न किया जाता है और यह भारत में सौंपी जाने वाली सम्पत्ति से संबंधित है ।

27. ऋणपत्र (चाहे बंधक ऋणपत्र है अथवा नहीं) विपणनीय प्रतिभूति अन्तरणीय होते हुए -

(क) बेचान द्वारा अथवा अन्तरण के अलग पत्र द्वारा -
जहां धनराशि अथवा मूल्य 10 रुपये से अनधिक है ;

जहां यह	10रु.	से अधिक है और	50रु.	से अनधिक है ;
तदैव	50रु.	तदैव	100रु.	तदैव
तदैव	100रु.	तदैव	200रु.	तदैव
तदैव	200रु.	तदैव	300रु.	तदैव
तदैव	300रु.	तदैव	400रु.	तदैव
तदैव	400रु.	तदैव	500रु.	तदैव
तदैव	500रु.	तदैव	600रु.	तदैव
तदैव	600रु.	तदैव	700रु.	तदैव
तदैव	700रु.	तदैव	800रु.	तदैव
तदैव	800रु.	तदैव	900रु.	तदैव

दस पैसे
बीस पैसे
पैंतीस पैसे
पचहत्तर पैसे
एक रुपया दस पैसे
एक रुपया पचास पैसे
एक रुपया पचासी पैसे
दो रुपये पच्चीस पैसे
दो रुपये साठ पैसे
तीन रुपये
तीन रुपये चालीस पैसे

तदैव	900	तदैव	1000	तीन रुपये पचहत्तर पैसे
1000 रु. से अधिक प्रत्येक 500 रु. या उसके किसी भाग के लिए				एक रुपये पच्चासी पैसे
(ख) सुपुर्दगी द्वारा- जहां इसमें नियत किए गए ऋणपत्र के लिए प्रतिफल मूल्य या राशि 50 रु. से अधिक न हो				पैंतीस पैसे
जहां यह 50 रु. से अधिक हो लेकिन 100 रु. से अधिक न हो				पचहत्तर पैसे
तदैव	100	तदैव	200	एक रुपये पचास पैसे
तदैव	200	तदैव	300	दो रुपये पच्चीस पैसे
तदैव	300	तदैव	400	तीन रुपये
तदैव	400	तदैव	500	तीन रुपये पचहत्तर पैसे
तदैव	500	तदैव	600	चार रुपये पचास पैसे
तदैव	600	तदैव	700	पांच रुपये पच्चीस पैसे
तदैव	700	तदैव	800	छः रुपये
तदैव	800	तदैव	900	छः रुपये पचहत्तर पैसे
तदैव	900	तदैव	1000	सात रुपये पचास पैसे
1000 रु. से अधिक प्रत्येक 500 रु. या उसके किसी भाग के लिए				तीन रुपये पचहत्तर पैसे
व्याख्या - "ऋणपत्र" पद में इसके साथ संलग्न ब्याज कूपन शामिल हैं लेकिन ऐसे कूपनों की राशि शुल्क के आकलन में शामिल नहीं होगी ।				
छूट				
किसी निगमित कंपनी या अन्य निगम संस्था द्वारा बंधक पत्र के रूप में जारी किया गया ऋणपत्र, इसके तहत जारी किए जाने वाले ऋणपत्रों की पूरी राशि के संदर्भ में उचित रूप से मुद्रांकित, जिससे कंपनी या संस्था की उधारियां, संपूर्ण या हिस्से में उनकी संपत्ति को ऋणपत्र धारकों के लाभ के लिए न्यासियों को हस्तान्तरित की जाती है :-				

<p>बशर्ते कि इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों का उक्त बंधक-पत्र के रूप में जारी किया जाना स्पष्ट किया गया हो ।</p>		
<p>37. साखपत्र, का तात्पर्य, कोई दस्तावेज जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति को उधार देने के लिए प्राधिकृत करता है जिसके पक्ष में यह लिखा जाता है ।</p>	<p>एक रुपया</p>	
<p>47. बीमा पॉलिसी क. समुद्री बीमा [भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का 2) की धारा 7 देखें]</p>	<p>यदि अकेले ही खींचा गया हो</p>	<p>यदि प्रत्येक भाग के लिए दोहरा खींचा गया हो</p>
<p>(1). के लिए या अन्य यात्रा के बाद (i) जहां प्रीमियम या प्रतिफल पालिसी द्वारा बीमित राशि के 1/8 प्रतिशत की दर से अधिक न हो (ii) अन्य मामले में, पालिसी द्वारा जारी एक हजार पांच सौ रुपये की प्रत्येक पूर्ण राशि तथा एक हजार पांच सौ रुपये के आंशिक भाग के संदर्भ में (2) समय के लिए; (iii) एक हजार रुपये की प्रत्येक पूरी राशि तथा पॉलिसी द्वारा बीमित एक हजार रुपये की किसी अंशीय भाग के संबंध में-</p> <p>जहाँ बीमा छ. माह से अनधिक किसी समय के लिए किया जाएगा;</p> <p>जहाँ बीमा छ. माह से अधिक तथा 12 माह से अनधिक किसी समय के लिए किया जाएगा ।</p>	<p>पांच पैसे पांच पैसे दस पैसे दस पैसे</p>	<p>पांच पैसे पांच पैसे पाँच पैसे पाँच पैसे</p>
<p>ख- अग्नि -बीमा तथा बीमा के अन्य वर्ग, जिसे इस अनुच्छेद में कहीं और शामिल नहीं किया गया है, क्षति अथवा नुकसान के विरुद्ध किसी सम्पत्ति तथा माल, सौदा, व्यक्तिगत माल तथा फसल को शामिल करते हुए -</p> <p>(1) किसी मूल पॉलिसी के संबंध में; (i) जब बीमित राशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो; (ii) किसी अन्य मामले में; तथा</p> <p>(2) किसी मूल पॉलिसी के किसी नवीकरण पर प्रीमियम के किसी भुगतान के लिए प्रत्येक आवृत्ति के संबंध में ।</p>	<p>पच्चीस पैसे पचास पैसे</p> <p>उक्त राशि यदि कोई हो, के अतिरिक्त संख्या 53 के अंतर्गत मूल पॉलिसी के संबंध में देय शुल्क का आधा।</p>	

ग- दुर्घटना तथा रुग्णता बीमा-

(क) रेलवे दुर्घटना के विरुद्ध एकल यात्रा के लिए ही वैध

घट

जब किसी रेलवे में मध्यवर्ती अथवा तीसरे दर्जे द्वारा यात्रा कर रहे किसी यात्री को जारी किया गया हो;

(ख) किसी अन्य मामले में - अधिकतम राशि के लिए जो किसी एकल दुर्घटना अथवा रुग्णता के मामले में देय हो सकती है जहाँ ऐसी राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं है और यह भी कि जहाँ ऐसी राशि एक हजार रुपये से अधिक है, प्रत्येक एक हजार रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए।

पाँच पैसे

दस पैसे

बशर्ते कि दुर्घटना द्वारा मृत्यु के विरुद्ध बीमा की किसी पॉलिसी के मामले में जब देय वार्षिक प्रीमियम प्रति एक हजार पर 2.50 रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे लिखत पर शुल्क प्रत्येक एक हजार रुपये अथवा अधिकतम राशि के भाग के लिए पाँच पैसे होगा जो इसके अंतर्गत देय हो सकता है।

ग ग- बीमाकर्ता द्वारा अथवा उसके अधीन नियोजित कामगारों को हुई दुर्घटना के कारण हर्जाना देने के लिए देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा, अथवा प्रीमियम के रूप में देय प्रत्येक 100 रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा।

पाँच पैसे

घ. जीवन बीमा अथवा समूह बीमा अथवा अन्य बीमा जो ऐसे पुनर्बीमा को छोड़कर जिसकी विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, जैसा कि इस अनुच्छेद के भाग ड. में बताया गया है -

यदि एकल रूप में दिया गया हो।

यदि प्रत्येक भाग अनुलिपि में लिया गया हो।

(i) बीमित की गई प्रत्येक राशि के लिए जो 250/-रु. से अधिक नहीं हो;

दस पैसे

पाँच पैसे

(ii) बीमित की गई प्रत्येक राशि के लिए जो 250/-रु. से अधिक हो लेकिन 500/-रु. से अनधिक हो;

दस पैसे

पाँच पैसे

(iii) बीमित की गई प्रत्येक राशि के लिए जो 500/-रु. से अधिक हो लेकिन 1000/-रु. से अनधिक हो तथा प्रत्येक 1000/-रु. के लिए अथवा 1000/- से अधिक भाग के लिए भी।

बीस पैसे

दस पैसे

टिप्पणी- यदि समूह बीमा की पॉलिसी का नवीनीकरण

<p style="text-align: center;">छूट</p> <p>केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी के अधीन जारी डाक जीवन बीमा के नियमों के अनुरूप डाकघर महानिदेशक द्वारा दी गई जीवन बीमा की पॉलिसी ।</p> <p>ड. एक बीमा कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा जिसने बीमित राशि के कतिपय भाग के मूल बीमा पर भुगतान के प्रति क्षतिपूर्ति अथवा वचनबद्धता द्वारा दूसरी कम्पनी के साथ इस अनुच्छेद के भाग क अथवाभाग ख में विनिर्दिष्ट स्वरूप की पॉलिसी प्रदान की है ।</p> <p style="text-align: center;">सामान्य छूट</p> <p>बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए आवरण अथवा वचनबद्धता पत्र :- इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे वचनबद्धता पत्र में जब तक ऐसी पॉलिसी के लिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प नहीं लगाए जाएं इसके अंतर्गत कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें उल्लिखित पॉलिसी की सुपुर्दगी को बाध्य करने को छोड़कर यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगी ।</p>	<p>किया जाता है अथवा अन्यथा इसमें संशोधन किया जाता है जहाँ यह बीमा राशि पहले बीमा की गई राशि से अधिक हो जाती है जिस पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, तो बीमा की गई अधिक राशि पर उचित स्टाम्प लगाया जाना चाहिए ।</p> <p>मूल बीमा के संबंध में देय शुल्क का एक चौथाई परन्तु पांच पैसे से कम नहीं अथवा पचास पैसे से अधिक नहीं ।</p> <p>इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि देय शुल्क की कुल राशि पांच पैसे के गुणक में नहीं है तो कुल राशि को पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणक में पूरा कर दिया जाएगा ।</p>
<p>49. वचन पत्र (धारा 2(22) द्वारा यथा परिभाषित) जब माँग पर देय हो - (i) जब राशि अथवा मूल्य 250/-रु. से अधिक नहीं हो</p>	<p>पाँच पैसे</p>

<p>(ii) जब राशि अथवा मूल्य 250/-रु. से अधिक हो लेकिन 1000/-रु. से अनधिक हो (iii) किसी अन्य मामले में ; (ख) जब माँग से भिन्न देय हो</p>	<p>दस पैसे पन्द्रह पैसे देय उसी राशि के लिए ऐसा विनियम पत्र (संख्या 13) जो कि माँग से भिन्न पर देय हों, के रूप में वही शुल्क देय ।</p>
<p>52. किसी जिले अथवा स्थानीय बोर्ड अथवा नगर पालिका आयुक्तों के किसी निकाय के सदस्यों के किसी एक चुनाव के समय मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने वाला प्रतिपत्र अथवा (क) किसी निगमित कम्पनी के सदस्यों की किसी एक बैठक अथवा अन्य निगमित निकाय जिसके स्टॉक अथवा निधियाँ शेयरों में विभाजित है अथवा हैं तथा अन्तरणीय, (ख) स्थानीय प्राधिकारी, अथवा (ग) प्रोप्राइटर्स किसी संस्था की निधियों के सदस्य अथवा अंशदाता की किसी एक बैठक में ।</p>	<p>पन्द्रह पैसे</p>
<p>62. अन्तरण (प्रतिफल सहित अथवा उसके बिना) - (क) किसी निगमित कम्पनी अथवा अन्य निगमित निकाय में शेयरों का,</p>	<p>प्रत्येक सौ रुपये अथवा शेयर के मूल्य के किसी भाग के लिए पच्चीस पैसे ।</p>

बशर्ते कि अनुच्छेद 13 में मद (ख) तथा (ग) के लिए विनियम पत्र पर तथा अनुच्छेद 49 की मद (ख) के लिए वचन पत्र पर कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क की दरें (क) यथार्थ वाणिज्यिक अथवा व्यापार संव्यवहार, (ख) मौसमी कृषि कार्यों अथवा फसलों के विपणन अथवा (ग) कुटीर एवं लघु उद्योगों की विपणन गतिविधियों अथवा उत्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगमों, वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किए गए अथवा लिए गए विनियम पत्रों अथवा वचन पत्रों को जारी करने के लिए लागू नहीं होंगी तथा ऐसे लिखतों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 49 में मद (ख) तथा अनुच्छेद 13 में मद (ख) तथा (ग) के सामने उल्लिखित दर के पांचवें भाग पर स्टाम्प शुल्क की दर वहन करनी पड़ेगी ।

स्पष्टीकरण 1 - परन्तुक के प्रयोजनार्थ -

(क) "कृषि प्रचालनों" की अभिव्यक्ति में पशु पालन तथा कृषि संबंधी प्रचालनों के साथ संयुक्त रूप से की गई सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं;

(ख) "फसलों" में कृषि संबंधी प्रचालनों के उत्पाद शामिल हैं ;

(ग) "फसलों का विपणन" की अभिव्यक्ति में कृषि उत्पादकों तथा ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा विपणन से पूर्व फसलों को संसाधित करना शामिल है ।

स्पष्टीकरण 2 - प्रभार्य शुल्क, जहाँ कहीं आवश्यक हो, अगले पाँच पैसे में मिला दिया जाएगा ।

[फा. सं. 33/60/2004-बि.क.]

सुधीर राजपाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 2004

STAMPS

S.O. 130(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notifications of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3 vide numbers S.O.198 (E) dated the 16th March, 1976 and S.O.199(E) dated the 16th March, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that with effect from 1st March, 2004, the proper stamp duty chargeable on instruments, mentioned under column (1) in articles 13, 14, 27, 37, 47, 49, 52 and 62 (a) in the Schedule I of the Act, shall be reduced and stamp duty payable thereon, after such reduction, shall be as specified in the Table given below, namely:-

TABLE

Description of the Instrument (as specified in Schedule I to the Indian Stamp Act, 1899) (1)	Proper Stamp-Duty (2)
<p>13. Bill of Exchange as defined by section 2(2) not being a BOND, bank-note or currency note-</p> <p>(b) where payable otherwise than on demand -</p> <p>(i) where payable not more than three months after date or sight -</p> <p>if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;</p> <p>if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000;</p> <p>and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000;</p> <p>(ii) where payable more than three months but not more than six months after date or sight -</p> <p>if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;</p>	<p>Thirty paise.</p> <p>Sixty paise.</p> <p>Sixty paise.</p> <p>Sixty paise.</p>

<p>if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000;</p> <p>and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000;</p> <p>(iii) where payable more than six months but not more than nine months after date or sight – if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;</p> <p>if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000;</p> <p>and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000;</p> <p>(iv) where payable more than nine months but not more than one year after date or sight - if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;</p> <p>if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000;</p> <p>and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000;</p> <p>(c) where payable at more than one year after date or sight- if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;</p> <p>if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000;</p> <p>and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000.</p>	<p>One rupee twenty paise.</p> <p>One rupee twenty paise.</p> <p>Ninety paise.</p> <p>One rupee eighty paise.</p> <p>One rupee eighty paise.</p> <p>One rupee twenty five paise.</p> <p>Two rupees fifty paise.</p> <p>Two rupees fifty paise.</p> <p>Two rupees fifty paise.</p> <p>Five rupees.</p> <p>Five rupees.</p>
<p>14. Bill of Lading (including a through bill of lading)</p> <p style="text-align: center;"><i>Exemptions</i></p> <p>(a) Bill of lading when the goods therein described are received at a place within the limits of any port as defined under the Indian Ports Act, 1889 (10 of 1889), and are to be delivered at another place within the limits of the same port;</p> <p>(b) Bill of lading when executed out of India and relating to property to be delivered in India.</p>	<p>One rupee. N.B.- If a bill of lading drawn in parts, the proper stamp therefore must be born by each one of the set.</p>
<p>27. Debenture (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable – (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer –</p> <p>where the amount or value does not exceed Rs.10;</p> <p>where it exceeds Rs.10 and does not exceed Rs.50;</p>	<p>Ten paise.</p> <p>Twenty paise.</p>

309 GI/54-3

Ditto	50	Ditto	100;	Thirty five paise.
Ditto	100	Ditto	200;	Seventy five paise.
Ditto	200	Ditto	300;	One rupee ten paise.
Ditto	300	Ditto	400;	One rupee fifty paise.
Ditto	400	Ditto	500;	One rupee eighty five paise.
Ditto	500	Ditto	600;	Two rupees twenty five paise.
Ditto	600	Ditto	700;	Two rupees sixty paise.
Ditto	700	Ditto	800;	Three rupees.
Ditto	800	Ditto	900;	Three rupees forty paise.
Ditto	900	Ditto	1000;	Three rupees seventy five paise.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000;				One rupee eighty five paise.
(b) by delivery – where the amount or value of the consideration for such debenture as set forth therein does not exceed Rs.50;				Thirty five paise.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100;				Seventy five paise.
Ditto	100	Ditto	200	One rupee fifty paise.
Ditto	200	Ditto	300	Two rupees twenty five paise.
Ditto	300	Ditto	400	Three rupees.
Ditto	400	Ditto	500	Three rupees seventy five paise.
Ditto	500	Ditto	600	Four rupees fifty paise.
Ditto	600	Ditto	700	Five rupees twenty five paise.
Ditto	700	Ditto	800	Six rupees.
Ditto	800	Ditto	900	Six rupees seventy five paise.
Ditto	900	Ditto	1000	Seven rupees fifty paise.
And for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.				Three rupees seventy five paise.
Explanation.- The term "Debenture" includes any interest coupons attached thereto but the amount of such coupons shall not be included in estimating the duty.				
<i>Exemption</i>				
A debenture issued by an incorporated company or other body corporate in terms of a registered mortgage-deed, duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part, their property to trustees for the benefit of the debenture holders:				
Provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.				
37. Letter of Credit , that is to say, any instrument by which one person authorizes another to give credit to the person in whose favour it is drawn.				One rupee.

	payable does not exceed Rs.2.50 per Rs.1,000, the duty on such instrument shall be five paise for every Rs.1,000 or part thereof of the maximum amount which may become payable under it.	
CC.-INSURANCE BY WAY OF INDEMNITY against liability to pay damages on account of accidents to workmen employed by or under the insurer or against liability to pay compensation under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), for every Rs.100 or part thereof payable as premium.	Five paise.	
D.- LIFE INSURANCE OR GROUP INSURANCE OR OTHER INSURANCE NOT SPECIFICALLY PROVIDED FOR, except such a RE-INSURANCE, as is described in Division E of this article—	If drawn singly	If drawn in duplicate for each part
(i) for every sum insured not exceeding Rs.250;	Ten paise.	Five paise.
(ii) for every sum insured exceeding Rs.250 but not exceeding Rs.500;	Ten paise.	Five paise.
(iii) for every sum insured exceeding Rs.500 but not exceeding Rs.1,000 and also for every Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Twenty paise.	Ten paise.
	N.B.- If a policy of group Insurance is renewed or otherwise modified whereby the sum insured exceeds the sum previously insured on which stamp-duty has been paid, the proper stamp must be borne on the excess sum so insured.	
<i>Exemption</i>		
Policies of life-insurance granted by the Director General of Post Offices in accordance with rules for Postal Life-Insurance issued under the authority of the Central Government.		
E. - RE-INSURANCE BY AN INSURANCE COMPANY, which has granted a POLICY of the nature specified in Division A or Division B of this Article, with another company by way of indemnity or guarantee against the payment on the original insurance of a certain part of the sum insured thereby.	One-quarter of the duty payable in respect of the original insurance but not less than five paise or more than fifty paise.	
	Provided that if the total amount of duty payable is not a multiple of five paise, the total amount shall be rounded off to the	

<p style="text-align: center;"><i>General Exemption</i></p> <p>Letter of cover or engagement to issue a policy of insurance:</p> <p>Provided that, unless such letter of engagement bears the stamp prescribed by this Act for such policy, nothing shall be claimable thereunder, nor shall it be available for any purpose, except, to compel the delivery of the policy therein mentioned.</p>	<p>next higher multiple of five paise.</p>
<p>49. Promissory Note (as defined by section 2(22) – When payable on demand – (i) when the amount or value does not exceed Rs.250; (ii) when the amount or value exceeds Rs.250 but does not exceed Rs.1,000;</p>	<p>Five paise. Ten paise.</p>
<p>(iii) in any other case; (b) when payable otherwise than on demand.</p>	<p>Fifteen paise. The same duty as a Bill of Exchange (No.13) for same amount payable otherwise than on demand.</p>
<p>52. Proxy empowering any person to vote at any one election of the members of a district or local board or of a body of municipal commissioners, or at any one meeting of (a) members of an incorporated company or other body corporate whose stock or funds is or are divided into shares and transferable, (b) a local authority, or (c) proprietors, members or contributors to the funds of any institution.</p>	<p>Fifteen paise.</p>
<p>62. Transfer (whether with or without consideration)- (a) of shares in an incorporated company or other body corporate;</p>	<p>Twenty five paise for every hundred rupees or part thereof of the value of the share:</p>

Provided that rates of stamp duty specified in column (2) on Bills of Exchange for items (b) and (c) in Article 13 and on promissory note for item (b) of Article 49 shall not apply to usance bills of exchange or promissory notes drawn or made for securing finance from Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporations, Commercial Banks and Cooperative Banks for (a) bonafide commercial or trade transactions, (b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or (c) production or marketing activities of cottage and small scale industries and such instruments shall bear the rate of stamp duty at one-fifth of the rate mentioned against items (b) and (c) in Article 13 and item (b) in Article 49 of Schedule I of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

309 GI/04-4

Explanation 1.- For the purposes of the proviso-

- (a) the expression "agricultural operations" includes animal husbandry and allied activities jointly undertaken with agricultural operations;
- (b) "crops" include products of agricultural operations;
- (c) the expression "marketing of crops" includes the processing of crops prior to marketing by agricultural producers or any organization of such producers.

Explanation 2. - The duty chargeable shall, wherever necessary, be rounded off to the next five paise.

[F. No. 33/60/2004-ST]

SUDHIR RAJPAL, Dy. Secy.